

11020/1/2016-प्रशा.

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांक: 11.07.2018

कार्यालय आदेश सं. 489/2018

राज्य सभा के 246 सत्र और सोलहवीं लोक सभा के पंद्रहवां सत्र, 2018 के दौरान मंत्रालय के निम्नलिखित बहु उद्देशीय कर्मचारियों की रोस्टर के अनुसार उनके सामने दिखाई तारीख से (03 /01 दिनों के लिए) मंत्रालय के संसद एकक में इयूटी लगाई जा रही है:-

क्र. सं.	प्रत्येक कर्मचारियों की संसद एकक में लगाई गई इयूटी की तारीख	बहु उद्देशीय कर्मचारियों का नाम सर्वश्री	प्रत्येक इयूटी की अवधि
	18.07.2018 (सायं 03.00 बजे के बाद) 21.07.2018 22.07.2018	अमीत अहलावत, एम.आई विंग विजय कुमार, सी.आर अनुभाग सोमवीर, सिंधु स्कंद	03 दिन
	25.07.2018 (सायं 03.00 बजे के बाद) 28.07.2018 29.07.2018	आनंद प्रकाश, पी.एस.यू. अवधेश कुमार, ई.ए. अनुभाग रोहीत, बजट अनुभाग	03 दिन
	01.08.2018 (सायं 03.00 बजे के बाद) 04.08.2018 05.08.2018	जयपाल सिंह, निदेशक ई.ए. रामजी लाल, व.सं.आयुक्त (एम.आई) सुखवीर सिंह, आयुक्त पी.आर	03 दिन
	08.08.2018 सायं 03.00 बजे के बाद)	खेर सिंह, उप सचिव (संसद) कुंदन कुमार, सतर्कता अनुभाग चिंतामणी, पीपी अनुभाग	01 दिन

2. उपरोक्त सभी कर्मचारियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे कार्यालय अवधि के दौरान अपनी संसद एकक की इयूटी से पहले बुधवार को सायं 3.00 बजे संसद एकक में अनुभाग अधिकारी (संसद एकक) को रिपोर्ट करेंगे। अगर किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई कर्मचारी इयूटी देने में असमर्थ रहता है तो वह मंत्रालय के किसी अन्य इच्छुक कर्मचारी का नाम अपने एवजी के रूप में प्रस्तुत करके व अनुभाग अधिकारी (संसद एकक) के अनुमोदन के बाद ही अपनी इयूटी से अनुपस्थित रह सकते हैं, अन्यथा नियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3. उपरोक्त इयूटी के लिए अलग से निर्धारित दर पर मानदेय दिया जायेगा।

अशोक कौशिक
(ए.के. कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.- 23738126

प्रति:

1. रोकड़ अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय।
2. संबंधित कर्मचारियों के अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (संसद एकक) ।
3. संबंधित कर्मचारी/बैयक्तिक मिसिल।